Registered Post

उत्तर मध्य रेल | कार्यालय मंडल रेल प्रबन्धक(का) झांसी

पत्र सं.–पी/161/RRB–2020/भर्ती/झांसी/Tech.-III/JE/ दिनांकः–

Name
Address

विषयः– रेलवे भर्ती बोर्ड/इलाहाबाद के द्वारा आवंटित Post के पद पर अभ्यार्थीयों को झांसी मंडल पर पे बैन्ड रू......के नियुक्ति के संबध में।

****

इलाहाबाद रेलवे भर्ती बोर्ड पर आयोजित चयन के परिणाम स्वरूप और आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में आपकों उ. म.रे. झांसी मंडल पर निम्नलिखित शर्तो पर Post के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव हैं:–

1. आपके पत्र में दी गयी आपकी जन्म तिथि एवं अन्य विवरण की पुष्टि में अपने साथ सैकन्ड्री स्कुल लिविंग सर्टिफिकेट/मेट्रीकुलेशन सर्टिफिकेट/अंकपत्र हाईस्कुल बोर्ड, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट एवं जाति प्रमाण पत्र मूल रूप से लाना होगा तथा प्रत्येक प्रपत्र की दो प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करनी होगी। कोई भी प्रपत्र स्कूल के व्याख्याता से सत्यापित न करोयें।
2. नियुक्ति के पूर्व आपको शपथ लेनी होगी। भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का वचन देना होगा।
3. प्रारम्भ में आपकों सामान्य अनुदेय, मंहगाई भत्ते सहित निर्धारित वजीफे/स्टाइपेन्ट पर प्रशिक्षार्थी के रूप में भर्ती किया जायेगा। प्रारम्भिक पाठ्यक्रम पूरा होने और उसके बाद परीक्षा पास कर लेने पर आपकों पे बैन्ड रू. .... के निर्धारित वेतनमान में नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा पास करने के लिये आपकों सिर्फ एक मौका दिया जायेगा, जिसमें फेल होने पर सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको अस्थाई सेवा के दौरान कभी भी 14 दिन के नोटिस अथवा उसके बदले 14 दिन का वेतन देकर सेवा मुक्त किया जा सकता हैं।
5. सरकारी सेवा की अपरिहार्यता और रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अन्तर्गत आपकों कभी भी उ. मं. रे. के किसी भी स्टेशन पर नियुक्ति किया जा सकता हैं।
6. आपको रेल कर्मचारी आचार नियम एवं रेल कर्मचारियों एवं आपकी सेवा सम्बन्धित अन्य रेल नियम/उप नियमों का पालन करना होगा।
7. आपको संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र पर अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य अथवा किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवा कर जो कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित होना आवश्यक हैं।
8. यदि प्रशिक्षण के दौरान आपकी प्रगति संतोषजनक नही पायी गयी अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप निर्धारित परीक्षा में अनुतीर्ण होते हैं तो आपको 24 घंटे के नोटिस पर सेवा से मुक्त किया जा सकता हैं।
9. नियुक्ति की तिथि से एक माह के अंदर आपको प्रथम उपचार परीक्षा पास करनी होगी। अन्यथा आपकी वार्षिकी तब तक रोक दी जायेगी जब तक आप वह परीक्षा पास नही कर लेतें।
10. आपको हाल ही का खिचा हुआ फोटो 4 प्रतियों में लाना होगा।

11. यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत है तो अपने विभाग से त्यागपत्र स्वीकृती सहित/तकनीकी त्याग पत्र स्वीकृती उपरान्त कार्यभारमुक्त होकर ही उपस्थित हों।

12. परीक्षार्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो पर की जायेगी

क) प्रशिक्षण के उपरान्त किसी परीक्षार्थी को किसी भी पद कम से कम 5 वर्ष तक सेवा करना होगी।

ख) यदि कोई कर्मचारी/प्रशिक्षार्थी प्रशासन की सेवा के 5 वर्ष पूरे नही करता जैसा कि ऊपर बताया गया है अथवा उसके बस के बाहर के अतिरिक्त अन्य कारणों से प्रशिक्षण छोड़ना चाहता है अथवा कोई चालाकी अपनाता है तो उसे प्रशिक्षण का सम्पूर्ण व्यय एवं प्रशिक्षण काल में भुगतान किये गये वजीफे/वेतन आदि की सम्पूर्ण राशि वापस करना होगीच।

ग) ऐसे कारणों के अतिरिक्त जो उसके बस के बाहर हो कोई प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण नही छोड़ सकता है।

घ) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बांड तथा एक मिली जुली जमानत की बांड रूपयें 100/– का विशेष एडहेसिव टिकिट या नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लगाते हुए संलग्न फार्म पर भरना होगा ताकि उपर्युक्त शर्तो के पालन न होने पर प्रशिक्षण व्यय एवं ऊपर बताये गये अनुसार भुगतान की गयी सम्पूर्ण राशि की वसूली की जा सकें।

ड) जो प्रशिक्षार्थी निर्धारित संतोष जनक रूप से प्रशिक्षण पूरा नही करता यदि प्रशासन आवश्यक समझे तो बिना किसी वजीफे एवं वृद्वि के उसके प्रशिक्षण की अवधि बढ़ायी जा सकती हैं। पुनः प्रशिक्षण (रिपीट) कोर्स दिया जा सकता हैं।

च) पुनः प्रशिक्षण (रिपीट) कोर्स वाले परीक्षार्थी उनके कनिष्ट माने जायेगे जो पहले ही प्रयास में पास हो जाते हैं। ऐसे परीक्षार्थी जो पुनः परीक्षण (रिपीट) कोर्स पाते हैं क्र.स. 12/ख में दी गयी शर्तो द्वारा शासित होगें।

छ) 7 वर्ष के लिए प्रादेशिक सेवा रिजर्व में समय समय पर निर्धारित अवधि में सेवा में जाना होना।

यदि आपको उपयुक्त शर्ते मंजूर हो तो आप मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय झांसी में दिनांक........ को **प्रातः 10.00 बजे** आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों सहित उपस्थित हो आपकी यात्रा के लिये द्वितीय श्रेणी का पास नम्बर .... से झॉसी तक एवं वापसी के लिये भेजा जा रहा हैं।

यदि आप आवश्यक प्रलेखों के साथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, झांसी में दिनांक .... को **प्रातः 10.00 बजे** उपस्थित न हो सके तो यह माना जायेगा कि प्रस्तावित नियुक्ति आपको स्वीकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव समाप्त माना जायेगा। इस विषय में नियुक्ति एवं शर्तो सम्बन्धी किसी पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। संलग्न बांड फार्म पर श्योरटी एवं गवाह भिन्न पांच किसी भी शासकीय सेवारत कर्मचारियों (तृतीय श्रेणी जिसकी ग्रेड पे आपसे अधिक की हो) से करायें।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(का.)
उ.म.रे. झाँसी

संलग्न
1. साक्ष्यंकन फार्म
2. चरित्र प्रमाण पत्र
3. बांड की प्रति